

— आदेश —

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

क. स.	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	रत्नमव जयत	2				
1.	दुर्गालाल पुत्र तनसुख	183	18.19	रामेश्वरलाल खत्री पुत्र	183	18.19
	कॉम खत्रीक खा. देह	185	4.03	तनसुख कॉम खत्रीक	185	4.03
	खानेदार	396	5.02	खा. देह खानेदार	396	5.02
		577	0.16		577	0.16
		396			396	

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

दिनांक :

कमांक : 29  
31/7/20

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना (नागर)

दिनांक :

कमांक :

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवारी हल्का .....को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

